क्या मुख्य न्यायाधीश के रूप में सफल हैं डीवाई चन्द्रचूड

विवेक कुमार

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ सबसे चर्चित सीजेआई में से एक रहे हैं। मीडिया न केवल उनके फैसलों बल्कि अदालत में मौखिक टिप्पणियों की भी धूमधाम से रिपोर्ट करता है। सीजेआई सार्वजनिक व्याख्यान देते हैं जिसे व्यापक रूप से कवर किया जाता है। उन्होंने अक्सर न्यायाधीशों और न्यायपालिका की भूमिका के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। सीजेआई, जनता के बीच न्यायपालिका में रुचि पैदा करने में सफल रहे हैं। लेकिन यहां मुख्य न्यायाधीश को सोचना चाहिए कि मैंने कार्यकाल के एक वर्ष में क्या हासिल किया है? इसके लिए गहन परीक्षण की आवश्यकता है। आखिरकार, न्यायपालिका की भूमिका न्याय देना है।

राष्ट्रीय न्यायिक पर उपलब्ध आंकड़े सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए गए डेटा ग्रिड से पता चलता है कि विभिन्न अदालतों में 4,43,03,449 नागरिक और आपराधिक मामले लंबित हैं। उनमें से, कम से कम 69,88,278 मामले 5-10 वर्षों से लंबित हैं; 32,42,441 मामले 10-20 वर्षों से लंबित हैं, 4,97,627 मामले 20-30 वर्षों से और 93,770 मामले 30 वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं। दीवानी मामलों में 15,69,281 आवेदन निष्पादन के लिए लंबित हैं (17.11.2023 को प्रकाशित)।

अकेले अक्टूबर में 16,14,349 मामले कायम किये गये। हालांकि यह सच है कि उस महीने में 12,24,972 मामलों का निपटारा किया गया था, निपटारे की इस दर पर, लंबित मामलों और नए सिरे से दायर किए गए मामलों को देखते हुए, न्याय देने में काफी समय लगेगा। अकेले सुप्रीम कोर्ट में 19,361 मामले लंबित हैं और आंकड़ों से पता चलता है कि एक महीने में 4915 मामले शुरू किए गए।

लाखों नागरिक हमारी अदालतों से न्याय पाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन कई लोगों को यह उनके जीवनकाल में कभी नहीं मिल पाता है। यह हमारी न्यायपालिका पर एक दुखद टिप्पणी है जब कोई वादी न्याय पाने से पहले ही मर जाता है। गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के जेल सांख्यिकी 2021 से पता चलता है कि हमारी केंद्रीय जेलों में 81,551 दोषी कैदी हैं। देशभर की केंद्रीय जेलों में 1,54,447 विचाराधीन कैदी बंद हैं।

अन्य जेलों में विचाराधीन कैदियों की संख्या 4,27,165 तक है। उन्हें तीन महीने से लेकर पांच साल और उससे अधिक की अवधि के लिए जेल में रखा जाता है। मुकदमा चलने तक उन्हें किसी दिन रिहा किया जा सकता है, या उनकी मृत्यु भी हो सकती है। उनमें से अधिकांश को बरी भी किया जा सकता है। भारत में आपराधिक मामलों में सजा की दर कम है। स्पष्टतः, न्याय प्रशासन नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर बहुत कम ध्यान देता है।

1977 में, सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की कि मूल नियम शायद जमानत के रूप में रखा जा सकता है, जेल में नहीं" सिवाय इसके कि जहां न्याय से भागने या दोबारा अपराध या समस्याएं पैदा करने का संकेत मिलता है। 1980 में, न्यायालय ने कहा कि "जब जीवन का समान प्रवाह अशांत हो जाता है, तो राजनीतिक शत्रुता से उत्पन्न आरोपों की जांच के लिए पुलिस को बुलाया जा सकता है। तब आपराधिक कानून की शक्तिशाली प्रक्रियाओं को बाहरी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विकृत किया जा सकता है।...

सुप्रीम कोर्ट में भी सब कुछ ठीक नहीं है। पीठों के गठन और मामलों के आवंटन में बहुत कुछ बाकी रह गया है। परिणामस्वरूप, न्याय कभी-कभी तिरछा हो जाता है। सीजेआई और कॉलेजियम प्रणाली के तहत नियुक्त प्रत्येक न्यायाधीश को यह याद रखना चाहिए कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था के संरक्षण के लिए आवश्यक है जैसा कि संविधान में माना गया था।

दूसरे जज का मामला। यदि कॉलेजियम द्वारा प्राप्त शक्ति उक्त निर्णय के अनुसार पूरा किया जाने वाला एक संवैधानिक उद्देश्य है, तो "गंभीर कर्तव्य" आवेदन के लिए उपलब्ध लोगों में से सर्वश्रेष्ठ का चयन करना है। आज, भारत के लोकतंत्र के पहलू खतरे में हैं। संवैधानिक संस्थाओं और निकायों का कामकाज संतोषजनक नहीं है। देश भर में विपक्षी दलों पर किसी न किसी बहाने हमले बढ़ते जा रहे हैं। कोई भी भ्रष्टाचार को नजरअंदाज नहीं कर सकता है और इससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए, लेकिन केवल कानून के अनुसार। सबसे बढ़ कर, इससे समान रूप से निपटा जाना चाहिए क्योंकि भ्रष्टाचार अकेले विपक्ष की बपौती नहीं है।

भारत का संविधान स्वयं ख़तरे में है क्योंकि इसमें निहित स्वतंत्रताएं अक्षरशः सभी नागरिकों को बमुश्किल ही मिलती हैं। सबसे अच्छे ढंग से तैयार किए गए संविधान के तहत शक्तियों का पृथक्करण और उनकी सीमाएं धुंधली होती जा रही हैं। सबसे बढ़कर, देश में मानवाधिकारों और मूल्यों का गंभीर उल्लंघन हो रहा है। लोगों को अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने और अपनी राय या राजनीतिक विश्वास व्यक्त करने के लिए गिरफ्तार किया गया है। वहीं "मुठभेड़ों" में सैकड़ों नागरिक मारे गए हैं।

सीजेआई को इन मुद्दों पर अधिक ध्यान देने में अभी देर नहीं हुई है। उसके पास बदलाव लाने की क्षमता, दूरदर्शिता, क्षमता, बुद्धि और अनुभव है - और सबसे बढ़कर, समय है।

सरकारी स्कूलों की खस्ता हालत को लेकर हाई कोर्ट की हरियाणा सरकार को फटकार....

पेज एक का शेष

कोर्ट को बताया कि एक तरफ तो बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ और खुले में शौच मुक्त भारत जैसे नारे दिए जा रहे है और दूसरी तरफ स्कूलों में शौचालय व पीने के पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है और इन सुविधाओं के लिए स्कूली बच्चों को मजबूरन हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है।

हाई कोर्ट में दिए गए ऐफिडेविट के मुताबिक जहां हरियाणा के सरकारी स्कूलों में शौचालय, पीने के पानी, बिजली कनेक्शन जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी है वहीं शिक्षा विभाग ने 10,675.99 करोड़ रूपये कि ग्रांट को बिना उपयोग किये सरकार को वापिस भेज दिया।

हाई कोर्ट ने कहा कि हरियाणा सरकार कोर्ट के सामने सिर्फ आंकड़ों का खेल खेल रही है और धरातल पर कोई काम नहीं कर रही। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि एक तरफ भारत सरकार 'स्वच्छ भारत मिशन' का नारा देते हुए हर घर में शौचालय उपलब्ध करवाने का दावा कर रही है वहीं दूसरी तरफ लड़कियों के 538 स्कूलों में शौचालय ही नहीं हैं और दिन प्रतिदिन स्कूली छात्राओं के शोषण के मामले सामने आ रहे हैं ।

हरियाणा सरकार की स्कूली बच्चों के हितों के प्रति संवेदनहीनता व एफिडेविट के चौंकाने वाले आंकड़ों की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग पर 5 लाख रुपयों का जुर्माना लगाते हुए उनसे एक हफ्ते के अंदर सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं की पूर्ती के लिए समय सीमाबद्ध योजना पेश करने के आदेश दिए हैं और हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव व स्कूली शिक्षा निदेशक को 15 दिसम्बर को व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट के सामने हाजिर होने के आदेश दिए हैं।

स्कूलों की इस भयंकर स्थिति को देखने के पश्चात हाईकोर्ट ने जो पांच लाख का जुर्माना हरियाणा सरकार पर किया है उससे बड़ा कोई मजाक हो नहीं सकता। बतौर जुर्माने की यह रकम कौन किसको देने जा रहा है? बड़ी स्पष्ट सी बात है कि सरकार ही जुर्माना देने वाली और सरकार ही लेने वाली है। इसके बावजूद भी यदि सरकार ने कोर्ट के आदेश की पालना नहीं की तो कोर्ट क्या करेगी? क्या यही जुर्माना-जुर्माना का खेल बराबर खेलती रहेगी? यदि माननीय अदालत वास्तव में ही समस्या का हल करना चाहती है तो जुर्माने की वसूली तमाम सम्बन्धित अधिकारियों के वेतन से करती तो तुरन्त ही समस्या का समाधान हो जाता।

46 करोड़ की लागत से 19 स्कूलों .....

पेज एक का शेष

शिक्षा विभाग में निर्माण कार्य कराने के लिये सारा पैसा सम्बन्धित स्कूल के मुखिया को ही दे दिया जाता है। जहां प्रिंसिपल अथवा मुख्य अध्यापक न हो तो वहां कामचलाऊ मुखिया को ही यह रकम दे दी जाती है। कई बार तो ईमानदार प्रिंसिपल या मुख्य अध्यापक को केवल इसलिये हटा कर किसी को कमाचलाऊ मुखिया बनाया जाता है जो लूट कमाई से अच्छा हिस्सा अफसरों व नेताओं को दे सके। इसका जीता-जागता उदाहरण 70 लाख से बना सेहतपुर का दो मंजिला स्कूल है। इसके बनते ही इसे असुरक्षित घोषित कर दिया गया था जिसे तोड़ने पर खर्च अलग से आयेगा।

46 करोड़ का उक्त बजट भी लगभग इसी तरह से मिल-बांट कर डकारा जाएगा। सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि निर्माण कार्य की निगरानी के लिये डीपीसी (जिला प्रोजेक्ट को-ऑर्डिनेटर), उनसे जुड़े एसडीओ व जेई समेत एक कमेटी बनाई जाएगी। विदित है कि डीपीसी उपजिला शिक्षा अधिकारी ही होता है जिसे निर्माण कार्य व तकनीक का कोई ज्ञान नहीं होता। यह पद जो अक्सर खाली रहता है तो जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी अथवा जिला शिक्षा अधिकारी ही इस काम को देखता है। इन सब के ऊपर बतौर चेयरमैन अतिरिक्त उपायुक्त होता है।

कहने को तो स्कूल मुखिया ही काम कराता है लेकिन वास्तव में वह उक्त कमेटी के आदेशों पर ही काम करता है। देश में जो लूट-कमाई की प्रथा चल रही है उसके अनुसार कमेटी में बैठे लोगों का असली काम केवल लूट में से अपना हिस्सा वसूलना होता है। ऐसे में जब मुनीश चौधरी जैसी डीईओ तथा सतबीर मान जैसे एडीसी कमेटी के चेयरमैन हों तो तमाम इमारतें सेहतपुर जैसी ही बनेंगी। ऐसी अनेकों इमारतें न केवल इस ज़िले में बल्कि पूरे राज्य भर में देखी जा सकती हैं। इन हालात को देखते हुए समझा जा सकता है कि उक्त 46 करोड़ में से 10 करोड़ भी सही से लगने वाले नहीं हैं। ईमानदारी का ढोल पीटने वाले खट्टर उक्त बजट जारी करने से पहले यदि बीते नौ वर्षों में डकारे गये बजट का हिसाब ले लेते तो तमाम स्कूलों की स्थिति वैसे ही सुधर जाती।

किसानों के साथ बड़ा धोखा....

पेज एक का शेष

लाने वाले किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पेराई के लिए नहीं लिए जाने से बाहर वाहनों पर लदा गन्ना सूख रहा है जिसका सीधा नुकसान किसानों को हो रहा है, गन्ना लाने के लिए वाहन का किराया-भाड़ा और समय की बर्बादी अलग। सहकारी मंत्री जिस जोश से किसानों के हित की घोषणाएं कर के गए थे उन्हें चाहिए कि उसी जोश से किसानों की समस्याओं का त्वरित समाधान कराएं।

संदर्भवश, सुधी पाठक गन्ना किसान व चीनी मिल के संबंध को भी समझें, जिस क्षेत्र में चीनी मिल लगती है उस क्षेत्र में गन्ना किसानों को गुड़, शक्कर एवं खांडसारी आदि बनाने की इजाजत नहीं होती थी, लेकिन चीनी मिल वालों का हाल बेहाल देखकर इसमें कुछ छूट प्रदान कर दी गई। चीनी मिल हर एक किसान का गन्ना नहीं लेता, मिल केवल उसी किसान से गन्ना लेते हैं जिस किसान से उसने अनुबंध कर पर्ची दी होती है। जिस किसान के पास पर्ची होती है मिल को उससे गन्ना लेना ही होता है क्योंकि किसान ने मिल से अनुबंध पर ही गन्ना बोया था। किसान का गन्ना न लेकर मिल ने अनुबंध को तोड़ दिया। कानूनन अनुबंध तोड़ने वाले पर किसान को

होने वाले नुकसान का हर्जा खर्चा दिया जाना चाहिए।

मिल चलाने वाला यह कह कर कानून की दृष्टि में अपनी जान नहीं छुड़ा सकता कि वह क्या करे मशीन खराब हो गई, सर्वविदित है कि मिल साल भर में केवल 108 दिन ही चलती है, बचे 257 दिन में भी जो मिल मालिक अपनी मिल का चुस्त दुरुस्त न कर सके उसकी सजा किसान के बदले मिल चलाने वाले को मिलनी चाहिए। यह भी जानना जरूरी है कि निजी क्षेत्र की चलने वाली मिल की मशीन कभी सीजन में खराब नहीं होती क्योंकि वे ऑफ सीजन में अपनी पूरी मशीनरी को चुस्त दुरुस्त करने में व्यस्त रहते हैं। मशीनों की यह खराबी केवल सरकारी मिलों में ही क्यों होती है? इसलिए होती है मिल चलाने वाले चोर अफसर ऊंचे कमीशनखोरी की लालच में घटिया से घटिया पुर्जे और घटिया से घटिया इंजीनियरिंग फर्म को ठेका देते हैं। ये अफसर भलीभांति जानते हैं कि जो मर्जी खाओ, जो मर्जी लूटो कोई पूछने वाला नहीं क्योंकि हर पूछ सकने वाले को लूट कमाई से पर्याप्त हिस्सा दिया जाता है।